46

42

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ ( )( )आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./12/7376-409 जयपुर, दिनांक: 24-1-2013

समस्त जिला कलक्टर,
....
....

विषयः–अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के सरलीकरण, नवीन प्रारुप एवं समस्त राज्य में एकरूपता के संबंध में नवीन संशोधन।

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाए गये कि अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता नहीं है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले अधिकारी भिन्न प्रारूप में उक्त प्रमाण पत्र जारी करते हैं तथा इनके साथ ही प्रमाण पत्र चाहने वाले आवेदकों द्वारा भिन्न रूप से आवेदन पत्र का प्रारूप भरकर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सम्पूर्ण राज्य में आवेदन पत्रों के प्रारूप एवं जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में एकरूपता नहीं है, इससे आवेदकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार ने गहन विचार विमर्श उपरान्त राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्रों की एकरूपता एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजों आदि में प्रस्तावित संशोधन एवं सरलीकरण के बारे में निर्णय लिये हैं। निर्णयानुसार अब भविष्य में संलग्न प्रारूपों के अलावा अलग से कोई प्रारूप अपने स्तर पर नहीं बनाये जावे।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय की पालनार्थ आपको अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी होने वाले प्रमाण पत्रों, आवेदन पत्रों स्वयं संलग्न दस्तावेज आदि के प्रारूप की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है एवं निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में संलग्न प्रारूप अनुसार ही आवेदन पत्र, दस्तावेज, स्वयं जारी होने वाले

41

प्रमाण पत्र प्रारूप मे ही समस्त कार्यवाही संपादित करावें। संलग्न प्रारूप से भिन्न किसी प्रारूप मे नहीं।

इसके अलावा यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त नवीन प्रारूप के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी करावें ताकि आवेदको एवं इन्हें जारी करने वाले अधिकृतियों (Authorities) को कठिनाई ना हो। राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्रों के संबंध में लिये गये निर्णय निम्नानुसार है–

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्रः–

1. अधिकृत अधिकारीः–जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम पद का नही हो।
2. पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति परिशिष्ठ–ए तथा प्रमाण पत्र प्रारूप परिशिष्ठ–बी पर संलग्न है।
3. प्रमाण पत्र हिन्दी में जारी किया जावेगा। आवश्यकता होने एवं मांग करने पर अंग्रेजी में भी जारी किया जावेगा।

प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा–,

(अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट–फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।

(ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।

(स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।

सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यप्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जावेगा।

42

5. अभ्यर्थी के चयन/भर्ती के अन्तिम स्तर पर ही सत्यप्रति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा इसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से भी किया जा सकता है। इससे पूर्व अभ्यर्थी की स्व घोषणा एवं नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रारम्भिक चयन कार्यवाही के लिए स्वीकार किये जावे।
6. आवेदन के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक या प्रमाण पत्र नहीं मांगे जावेंगे। दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राहय मानी जायेगी।
7. एक व्यक्ति के सभी पुत्र पुत्रियों के प्रमाण पत्र एक ही आवेदन पत्र पर जारी किये जा सकेंगे यद्यपि प्रमाण पत्र सभी के पृथक पृथक जारी किये जायेंगे।
8. किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के द्वारा अलग से तैयार किये गये प्रारूप /बुकलेट आदि में प्रमाण पत्र नहीं मांगा जावेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

1. अधिकृत अधिकारी – संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर)/उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार/नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।
2. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर (परिशिष्ठ–जी) पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

3. ओबीसी संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के लिए प्रार्थी के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा–

(अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट–फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।

(ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।

(स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।

4 कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों के लिए पृथक पृथक आवेदन करने के बजाय एक ही आवेदन पत्र से सभी का प्रमाण पत्र बनवा सकेगा परन्तु सभी के लिए प्रमाण पत्र अलग–अलग जारी किये जायेंगे।

5 दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापोर/नगर निगम सदस्य/ नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राहय मानी जायगी तथा उनके द्वारा देय साक्ष्य परिशिष्ठ–सी अनुसार होगा।

6 सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जायेगा। अन्तिम सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से किया जा सकता है।

7 पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया

(अ) पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ठ प्रारूप परिशिष्ठ–डी के अनुसार जारी किया जायेगा।

(50)

(ब) विशेष पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ठ प्रारूप परिशिष्ठ–ई के अनुसार जारी किया जायेगा।

(स) केवल अन्य पिछड़ा वर्ग व केवल विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ठ–डी व ई के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जावेगा।

8 आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य सरकार (कार्मिक (क–5) 90 दिनांक 21.3.1994 द्वारा निर्धारित है) जो परिशिष्ठ–एफ अनुसार है।

उपरोक्त नवीन संशोधित प्रारूपों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व भली भांति नियमों का अध्ययन कर लेवे तथा नियमों की परिधि में ही राजस्व रिकार्ड अन्य अभिलेख एवं आवश्यक विश्वसनीय जांच करने के पश्चात् ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान करें। प्राधिकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

संलग्न–संशोधित नवीन प्रारूप
[परिशिष्ठ ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी]

आयुक्त एवं ~~शासन सचिव~~

45

(51)

क्रमांक एफ.11( )( )आरएण्डपी/स.न्या.अ.वि./12/7410-7710 जयपुर, दिनांक: 24-1-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राज0 जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव, राजस्थान सरकार..
6. समस्त विभागाध्यक्ष..
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. आयुक्त, जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग, जयपुर।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग............................
10. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं शासन सचिव

(46)

परिशिष्ठ – ए

कोर्ट फीस स्टाम्प

2/– रुपया

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ से चयन करे)

प्राथी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

1 प्रार्थी का नाम* [ ]

2. पिता का नाम* [ ]

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :– [ ]

(ख) स्थाई पता :– [ ]

4. गाँव/शहर* [ ] तहसील* [ ] जिला* [ ]

5. जन्म दिनांक: [/ /] जन्म स्थान [ ] उम्र [ ]

6. लिंग* [ ] पुरूष [ ] महिला वैवाहिक स्थिति : [ ] विवाहित [ ] अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)*: [ ] जाति* : [अनुसूचित जाति/ जनजाति] उप जाति* [ ]

8. धर्म (पिता का)* [ ] जाति* : [ ] उप जाति* [ ]

9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है* [ ]

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* [ ] हाँ [ ] नहीं

11. मोबाईल नम्बर [ ] (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

मैं तसदीक करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

जन्म दिनांक: [/ /]

स्थान [ ]

आवेदक के हस्ताक्षर

Ankesh/Cast Certificates

53

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

...स्तविक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ______

.../पुत्री श्री ______ निवासी ______

.../की है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति ______ का/की हैं।

...र्थी का राशन कार्ड नम्बर ______ दिनांक ______

हस्ताक्षर पटवारी
हलका नं ....

प्रमाण–पत्र

(i) गवाह* :

... ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

विभाग का नाम ______ पद ______ पर

कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति ______

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

विभाग का नाम ______ पद ______ पर

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति ______

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

[illegible] आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :–
[illegible] की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे [illegible] करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
[illegible] पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
[illegible] कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, [illegible]लीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।
[illegible] की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण [illegible]/शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
[illegible] उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा– संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी–कर्मचारी/जिला [illegible]/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर [illegible] अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता।

शपथ–पत्र

[illegible] ________ पुत्र/पुत्री श्री ________
[illegible]निवासी ________
[illegible]गांव/शहर ________ तहसील ________ जिला ________
राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति ________ का/की सदस्य हूं।

(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

D/Ankesh/Cast Certificates

(55)

परिशिष्ठ –बी

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप

जाति का प्रमाण पत्र फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------------------
सुपुत्र/पुत्री ------------------------------ गांव/नगर ----------
जिला/डिवीजन ------------------ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ------------------
जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 दवारा यथा संशोधित)
संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 दवारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार दवीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी ------------------------ और अथवा उसी परिवार ------------------
गावं/नगर ------------------------------ जिला/डिवीर्जन
------------------------------ राज्य। संघ राज्य क्षेत्र ------------------ में
सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर ------------------
पद नाम ------------------
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान ------------------------------ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
तारीख ------------------------------

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं है।

विशेष ध्यान दें।

यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

D/Ankesh/Cast Certificates

(56)

(8)

परिशिष्ठ– सी

पिछड़ा वर्ग साक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह* :

पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

...ग का नाम कार्यालय का नाम

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

...र्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

...वासी

...को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

...का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम कार्यालय का नाम

पद पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(57)

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एव शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी [ ]
पुत्र/पुत्री श्री [ ] जाति [अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग] उपजाति [ ]
का/की है। प्रार्थी क्रिमीलियर की श्रेणी में आता है/नही आता है।

हस्ताक्षर पटवारी

हलका नं ....

नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :–

आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा– संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/

शपथ-पत्र/बयान

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

ग्राम/शहर [ ] तहसील [ ] जिला [ ]

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि

1. मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति [ ] का/की सदस्य हूं।
2. मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्व अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग-1, समूह 'ख' वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
3. मेरे माता/पिता सरकारी/निजी संस्थान में [ ] पद पर कार्यरत है/थे।
4. मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय [ ] रूपये हैं।
5. मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।
6. मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
7. यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गो की क्रिमीलेयर का हूं/नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

D/Ankesh/Cast Certificates

59

परिशिष्ट –डी

फोटो

रजिट्रेशन ....   दिनांक :

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने
के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री / श्रीमती / कुमारी ———————————— पुत्र / पुत्री ———————— राजस्थान राज्य के जिला ———————— में ग्राम / नगर ———————— की निवासी हैं तथा ये / और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता / करती / करते हैं।

2. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी / एसजेईडी / 09 / 47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से ———————— वर्ग / जाति के / की सदस्य हैं।

3. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प / 7(8)कार्मिक / क–2 / 2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का / की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर / सील सहित

*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

D/Ankesh/Cast Certificates

परिशिष्ठ– ई

फोटो

रजिस्ट्रेशन ....

दिनांक

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री / श्रीमती / कुमारी ———————————— पुत्र / पुत्री ———————— राजस्थान राज्य के जिला ———————————— की निवासी हैं तथा ये / और या इनका कुटुम्ब यहां में ग्राम / नगर स्थाई रूप से निवास करता / करती / करते हैं।
2. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————————— राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी / एसजेईडी / 09 / 46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़े वर्गो की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गो में से ———————— वर्ग / जाति के / की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————————— आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प / 7(8)कार्मिक / क–2 / 2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का / की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर / सील सहित

*(राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

D/Ankesh/Cast Certificates

परिशिष्ट – एफ

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मदें स्थानीय स्थिति की उपयुक्तके अनुसार प्रारम्भ में सम्मिलित की जा सकेगी)

प्रेषिती

____

____

____

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण–पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्ठयाँ नीचे दे रहा हूं:–

1– आवेदक का पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)

2– जन्म तिथि :

3– निवास का पूर्ण पता :
(क) वर्तमान
(ख). स्थाई

4– धर्म

5– जाति

6– उपजाति :

7– उपजीविका – वर्ग

8– अ.पि.व. की राज्य सूची में
जाति काक्रम संख्यांक :

9– पिता का नाम

10– माता का नाम :

11– पति का नाम

12– माता–पिता / पति की प्रास्थिति

	पिता	माता	पति
[क] संवैधानिक पद			
[ख] पद नाम			
[ग] सरकारी सेवायें			

	पिता	माता	पति
(i) सेवा (केन्द्रीय / राज्य)			
(ii) पद नाम			
(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।			

(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख

(v) वर्ग / पद पर पदोन्नति के समय
आयु (यदि लागू न हो)

(II) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त
राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन

(i) संगठन का नाम

(ii) पद नाम

(iii) सेवा की कालावधि
(दिनांक .... से .... तक)

(III) मृत्यु / स्थाई अक्षमता (यदि लागू हो तो
छोड़ दीजिए)

(i) मृत्यु / अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।

(ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

(i) संगठन का नाम ....

(ii) पद का नाम

(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख

(घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)

(i) पद नाम

(ii) वेतनमान

(ड) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के
अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये
व्यक्ति।

(i) उप–जीविका / वृत्ति

(च) सम्पत्ति के स्वामी

(छ) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)

(1) अवस्थिति

(2) जोत का आकार

(3) क – सिंचित
सिंचित भूमि का प्रकार
1.
2.
3.

(63)

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो–राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।

6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान

1 फसल/फल

2 अवस्थिति

3 बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

1 सम्पत्ति की अवस्थिति।

2 सम्पत्ति का ब्यौरा

3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ड) आय/धन।

(च) 1 समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)

2 क्या करदाता है (हां/नहीं)( ) यदि हां तो गत तीन वर्षो की विवरणी की प्रति दी जावे।

3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं)(यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(छ) अन्य कोई अभ्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उर्पयुक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गो की क्रिमीलेयर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का प्रात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्युक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होउंगा जो विधि और या नियमों के उपाबधित की जायें।

भवदीय,

स्थान.

दिनांक

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

D/Ankesh/Cast Certificates

17

(58)

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप :–

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... सुपुत्र/पुत्री/पत्नी/ .... ग्राम/नगर................................ जिला/खण्ड .... राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना प.11(125)आर.एण्ड पी./सकवि/46631 दिनांक 27.8.93 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्गो की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गो में से .... वर्ग/जाति के सदस्य हैं। श्री .... और/या उसका कुटुम्ब .... राज्य के .... जिला खण्ड .... में स्थायी तौर से निवास करता है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना, संख्या प.9 (8)कार्मिक/क–5/90 दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्व अनुसूची के यस्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गो (क्रीमीलेयर) का नहीं है

हस्ताक्षर

जाति प्रमाण–पत्र जारी करने
वाले अधिकारी

दिनांक
मोहर

D/Ankesh/Cast Certificates

(65)

परिशिष्ठ — जी

(अक्षरे दस रुपये (10/-रु.) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयन का समयावधि एक वर्ष वृद्धि के शपथ पत्र का प्रारुप

श्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र ....

निवासी ....तहसील ....

जिला .... राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न प्रकार बयान/घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि –

1. राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के संबंध में मुझे सक्षम अधिकृत (कार्यालय का नाम) .... से क्रमांक................................ दिनांक .... द्वारा एक वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जारी हुआ था।
2. मेरी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय के अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए भी मैं राज्य सरकार द्वारा घोषित क्रीमीलेयर की सीमा नहीं हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 3 तक मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम .... पिता का नाम .... जाति ....उम्र........................वर्ष, निवासी .... ने. मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथ पूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षरकर्ता

स्थान

दिनांक

प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट /नोटेरी पब्लिक)
का नाम व पदमय सील

(60)